क्रम संख्या–63 (ठ) पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 21 जुलाई, 2020 ई०
आषाढ़ 30, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 905/VII–1/2020/68–रिट/08 टीसी
देहरादून, 21 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

प० आ०–26

राज्यपाल खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) "व्यक्ति" से जो भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 सितम्बर तक अभिप्रेत है;

(ञ) "आबादी" से स्टोन क्रेशर हेतु आवेदित दिनांक को अवस्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) "नदी" से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह निरन्तर वर्षभर होता रहता है (Perennial river) तथा जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है Non-Perennial river अभिप्रेत है;

(ड) "नियमावली" से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 अभिप्रेत है;

(ढ) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;

(ण) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय– I. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट

स्टोन केशर प्लांट/स्कीनिंग प्लांट स्थल चयन हेतु समिति

1. स्थल चयन एवं स्थल की जांच हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :–

1.	संबंधित जनपद का जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्रस्तावित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
4.	उत्तराखण्ड पर्यारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स	सदस्य
6.	सम्बन्धित जिला खान अधिकारी	सदस्य सचिव।

उपरोक्तनुसार गठित समिति के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–1 में प्रस्तुत की जायेगी।

स्टोन केशर प्लांट/स्कीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे उपखनिजो के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–2** में वर्णित निम्न अभिलेखों एवं अनुज्ञा शुल्क सहित छः प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगाः–

1. आवेदन प्रपत्र।
2. अनुज्ञा शुल्क संयत्र की क्षमता के अनुसार।
3. आवेदित स्थल का खसरा मानचित्र।
4. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant) द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अधिकृत परामर्शदाता का सूचीबद्धीकरण(Empanelment) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अधिकृत परामर्शदाता द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उन्हें काली सूची (Black list) में डाला जायेगा।
5. आवेदित स्थल का खसरा विवरण।

6. आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट हेतु स्वीकृत अवधि का होना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।
8. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी हो तो फर्म का विधिवत रजिस्ट्रेशन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति या विधिक ग्राह्यता वाले मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिग की प्रति ।
9. स्थाई निवास प्रमाण–पत्र।
10. आवेदक/भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र।
11. आवेदक/भागीदारों का खनन अदेयता प्रमाण पत्र जो संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
12. जी0एस0टी0 नम्बर।
13. आयकर अदेयता प्रमाण पत्र/ शपथ पत्र।
14. स्क्रीनिंग प्लान्ट से निकलने वाले अनुपयुक्त उपखनिज का निस्तारण का प्रकार एवं विधि का विवरण का शपथ पत्र।
15. स्टोन क्रेशर स्वामी/ स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को सूचित किया जाना होगा। इस हेतु संचालक का स्वयं का खनन पट्टा अथवा/और खनन पट्टाधारक (निजी नाप/राजस्व भूमि/वन निगम/ग0म0वि0नि0/कु0म0वि0नि0) के मध्य हुए उपखनिज आपूर्ति का निर्धारित प्रपत्र **अनसूची–3** के अनुसार पंजीकृत अनुबन्ध न्यूनतम 05 वर्ष की उपखनिज आपूर्ति के आशय का संलग्न होना आवश्यक हैं। स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित पट्टा धारकों से ही कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा अनुबंधित खनन पट्टा धारकों से इतर पट्टा धारको से उपखनिज की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर स्टोन क्रेशर स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समयावधि में ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।
16. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन तथा उक्त प्लांटों के परिसर में उप खनिज भण्डारण की स्वीकृति जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा एक साथ प्रदान की जायेगी।

    प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय एवं विकय किये गये खनिज का लेखा–जोखा पंजिका "क" में करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

    स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपखनिज कच्चा माल व पक्का माल के भण्डारण व सम्बन्धित अभिलेखो का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ जिला खान अधिकारी संबंधित तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार व निदेशालय स्तर के उपनिदेशक एवं उच्च स्तर के अधिकारी तथा शासन स्तर के अनुसचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17. नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति के लिए वही आवेदनकर्ता पात्र होगा, जिसके पास स्वयं का पट्टा अथवा/और जिसके पक्ष में शासकीय निगमों अथवा व्यक्तिगत पट्टाधारकों से आपूर्ति हेतु मात्रा का विधिवत पंजीकृत अनुबन्ध है एवं प्रस्तावित क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष शेष क्षमता का स्वयं के पक्ष में स्वीकृत पट्टा अनुबन्ध है। इन सभी का पूर्ण विवरण सशपथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु दूरी के मानक

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे:–

क्र०सं०	स्थान	स्टोन केशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	1.5 किलोमीटर	1.5 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :–

(1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लाटों की नदी (Perennial river) से न्यूनतम दूरी 250 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।

(2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांटसे दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।

(3) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल

4. इस नीति के प्रख्यापित होने के पश्चात आवेदित/प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल जो एक संहत खण्ड में हो, का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट की क्षमता – टन प्रति घंटा

(ख) प्रतिदिन स्टोन केशर प्लान्ट/स्कीनिंग प्लान्ट संचालन की अवधि –औसतन 10 घंटा प्रतिदिन

(ग) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु कच्चा माल आर०बी०एम० की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन = क x ख टन प्रतिदिन

(घ) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन।
वर्षा काल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर०बी०एम० की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 x क x ख = टन में।

(ड़) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x क x ख (टन में)

(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एंव पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

(छ) वर्षा अवधि हेतु कच्चा माल (आर0बी0एम0) का भण्डारण का क्षेत्रफल

$$= \frac{क \times ख \times 90}{2.2 \times 5}$$

(वर्गमीटर में)

(1 घनमीटर = 2.2 टन)

(ज) वर्षा काल से भिन्न अवधि हेतु कच्चा माल की एक समय में भण्डारण हेतु क्षेत्रफल =

$$\frac{क \times ख \times 45}{2.2 \times 5}$$

(वर्गमीटर में)

(झ) तैयार माल के भण्डारण, हरित पट्टिका, प्लान्ट की स्थापना एवं वाहनों के आवाजाही एवं रखरखाव इत्यादि हेतु क्षेत्रफल वर्षाकाल एवं वर्षाकाल से भिन्न अवधि हेतु कच्चे माल के क्षेत्रफल का योग (छ+ज) का 25 प्रतिशत होगा।

(ट) कुल क्षेत्रफल = छ+ज+झ वर्गमीटर

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन के कम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाना

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार हो, में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/वभाग आदि, जो निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आता हो तथा उक्त स्थल पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा स्थापित/संचालन किये जाने से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार प्रकाशन के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है, तो उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन

6. (क) स्टोन केशर संचालकों को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट/क्रेशर प्लान्टमे छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रू0 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिर्काडिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार शासन को सूचित किया जायेगा।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा तैयार माल पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क (₹ 1 प्रति कुंतल स्टोन केशर हेतु एवं 25 पै0 प्रति कुंतल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु) जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई–प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

(ङ) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टों द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

7. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी स्टोन क्रेशर प्लान्ट/ स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं।

भण्डारण ऊंचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से कराया जाना होगा। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(3) (क) इस नीति की घोषणा के बाद स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टस्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम हो।

(ख) इस नीति की घोषणा के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को ऐसा संयत्र स्थापित करना होगा, जो Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के निम्न प्रावधानानुसार निर्धारित मानकों निम्न मानकानुसार हो :–

Ambient air quality standards in respect of Noise

Area code	Category of Area/ Zone	Limits in db(A) Leq	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial Area	75	70
(B)	Commercial Area	65	55
(C)	Residential Area	55	45
(D)	Silence Area	50	40

Note –

Day time shall mean time from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

Night time shall mean time from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व में स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों को भी उक्त मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।

(4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(5) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(6) संचालक द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(7) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(8) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।

(9) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।

(10) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी० फेन के माध्यम से स्कबिंग की जाये। स्कबिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

(11) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट संचालन हेतु खनन पट्टाधारक द्वारा आपूर्ति किये गये उपखनिज का निर्धारित प्रपत्र पर मासिक विवरण संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।

(12) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रतिमाह क्रय किये गये आर०बी०एम० एवं विक्रय किये गये क्रशड मैटेरियल/तैयार माल का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संबंधित खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे संबंधित खान अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।

(13) प्रत्येक स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा Tamper Proof इलैक्ट्रिानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रिानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

(14) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

(15) स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश किया जाना अनिवार्य होगा। प्लान्ट स्वामी की क्रशिंग क्षमता का अक्टूबर से दिसम्बर की प्रथम तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम निरीक्षण, जनवरी से मार्च की द्वितीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अप्रैल के प्रथम सप्ताह में द्वितीय निरीक्षण, अप्रैल से जून की तृतीय तिमाही की समाप्ति के उपरान्त जुलाई के प्रथम सप्ताह में तृतीय निरीक्षण एवं जुलाई से अक्टूबर की चतुर्थ तिमाही की समाप्ति के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में चतुर्थ निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यह निरीक्षण संबंधित खान अधिकारी, सहायक भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक अथवा क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका केशरवार रिकार्ड खान अधिकारी एवं संबंधित केशर स्वामी के पास रखा जाना अनिवार्य होगा।

यदि प्लान्ट स्वामी द्वारा किसी तिमाही में कुल क्रशिंग क्षमता का 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो आगामी तिमाही में प्लान्ट स्वामी द्वारा इस प्रकार क्रशिंग की जानी होगी कि दोनों तिमाहियों का औसत कम से कम 80 प्रतिशत हो जाय। यदि लगातार दो तिमाहियों में कम से कम 80 प्रतिशत क्रशिंग क्षमता का उपयोग प्लान्ट स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्लान्ट स्वामी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर ई–रवन्ना पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा। यदि प्रति वर्ष निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 प्रतिशत क्रश नहीं किया जाता है तो अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी। क्रेशर स्वामी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील शासन में ही की जा सकती है। शासन द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति उद्घाटित होने की दशा में छूट दी जा सकेगी।

(16) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व Consent to operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा की स्वीकृति

8. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा।

जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुसूची–2 में वर्णित अभिलेखों के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दस वर्ष की अवधि हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं उपखनिजो के भण्डारण हेतु अनुज्ञा साथ–साथ स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा के उपरान्त स्थल पर ऐसी योजना के पूर्ण हो जाने की दशा में उसका उपयोग प्रारम्भ हो जाने पर उत्तर–प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा–143 के अधीन सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट क्षमता का निर्धारण

9. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पूर्व से स्थापित प्लान्ट या स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में शपथ–पत्र सहित घोषित करेगा। उक्तानुसार घोषित क्षमता के परीक्षण/प्रमाणीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के खान अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत वितरण निगम के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रचालन/संचालन क्षमता एवं तदनुसार भण्डारण क्षमता निर्धारित की जायेगी। उक्त समिति द्वारा संस्तुत क्षमता अनुमन्य होगी तथा प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी यह समिति निर्धारित करेगी।

प्रदेश में इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली क्रशिंग क्षमता प्रति घंटा एवं प्रति टन क्रशिंग में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा के 10 प्रतिशत मामलों का सत्यापन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा Random आधार पर प्रति वर्ष कराया जायेगा।

पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना तथा प्लांट की क्षमता का विनियमितीकरण

10. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के बाद दो माह के भीतर अपने प्लांटो की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति के अध्याय–II में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 1 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकूर्म उद्योग में जमा करना होगा। शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी के द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के दो माह बाद ई–प्रपत्र "जे" केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

अध्याय–II- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लाट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट हेतु अनुज्ञा शुल्क :–

क्र0 सं0	संयत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	₹ 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 2.00 लाख प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	₹ 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		₹ 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	₹ 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
3	मोबाईल स्टोन केशर प्लान्ट/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट	₹ 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) ₹ 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) ₹ 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) ₹ 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	

4	हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट	₹ 25000/–

नोटः–1. नये स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/संचालन की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु उपरोक्त तालिका मे निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अनुज्ञा शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जाना होगा।

अध्याय–III- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण

1. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–4** में वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क जो अध्याय–2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जिसका 01 प्रतिशत की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 99 प्रतिशत की धनराशि शासन द्वारा निर्गत नवीनीकरण ओदश के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जाना होगा, तीन प्रतियों में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

पूर्व नीति से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का संचालन

2. पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति के अध्याय–I के बिन्दु 3 में उल्लिखित दूरी के मानक तथा अध्याय–I के बिन्दु 7 के उप बिन्दु (3) के खण्ड (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर शेष मानकों को नीति प्रख्यापन की तिथि से 03 माह की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा;

परन्तु नवीनीकरण के समय इस प्रकार स्थापित इकाईयों को दूरी के मानकों को छोड़कर इस नीति में निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञा को रद्द/निरस्त किया जाना

3. (1) स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है तो जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।

अध्याय–IV-मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1. राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्‌टो में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्‌देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट को on site स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
2. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय–2 में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
3. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट तथा उक्त प्लांटों के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ–साथ स्वीकृत की जायेगी।
4. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
5. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि हेतु संबधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु खनन पट्टाधारक/परियोजना प्रबंधक/ कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित करेगा।
7. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन हेतु अनुमति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

   प्रतिबन्ध यह होगा कि मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे।
8. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रख्यापित आदेशों/ अधिनियम में इंगित दिशा–निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
9. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय का विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नही है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
10. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

11. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की on site स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आंबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो सम्बन्धित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
12. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा कश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।
13. मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को कश्ड मैटेरियल की मात्रा पर ₹ 1 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्कीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर 25 पैसा प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं खनिकर्म उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
14. मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।
15. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
16. पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

अध्याय–V- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

1\. (क) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 मे वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर मे पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। प्लान्ट स्वामी के द्वारा कय किये गये खनिज का लेखा–जोखा पंजिका "क" मे करेगा तथा मासिक विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

(ख) हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विकय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000/–का अर्थदण्ड देय होगा।

(ग) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उनके उत्पाद अर्थात कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक 0853– अलैह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग मे पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) यदि हॉट मिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता के द्वारा जांच/पैमाइश से अपनी लिखित रूप से असहमति व्यक्त की जाती है एवं पुनः जांच/ पैमाइश की मांग की जाती है तो उस दशा में भण्डारणकर्ता से खनन लेखाशीर्षक में रू0 5,000/ की धनराशि जमा कराने के उपरान्त जांचकर्ता के द्वारा भण्डार की पुनः जांच/पैमाइश करायी जा सकती है इस हेतु भण्डारणकर्ता को खनिज भण्डारणों को आयताकार रूप दिया जाना होगा।

प्लान्ट से धूल के कणों के उत्सर्जन को रोकने की विधि

2. हॉटमिक्स एवं रेडिमिक्स प्लान्ट से धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractor) या धूल के कणों एवं धुआं को हवा में उड़ने से रोकने की विधि का प्रभावी उपयोग उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

अध्याय–VI . पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

1. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–7 में आवेदन शुल्क सहित नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1.00 लाख होगा जो निर्धारित लेखाशीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।
2. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या–1 में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु इस नीति में पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के निर्धारित दूरी के मानक लागू होंगे तथा क्षेत्रफल न्यूनतम 0.5 एकड़ होगा।
4. पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन की स्वीकृति तथा परिसर में उपखनिज (सोपस्टोन) के कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

6. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

7. प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to establish और consent to operate की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

अध्याय–VII. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लांट/आर0एम0सी0 प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिर्वतन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण:

1. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/आर0एम0सी0 प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जायेगी। उक्त प्रयोजन के लिये सम्बन्धित प्लान्टों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

   1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिर्वतन– ₹ 2.00लाख।
   2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन– ₹ 1.00 लाख।
   3. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन –₹ 50,000/–
   4. आर0एम0सी0 का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन –₹ 50,000/–
   5. मोबाईल स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–₹ 50,000/–
   6. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–₹ 25,000/–
   7. प्लवराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन –₹ 50,000/–

अध्याय–VIII. पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नये स्थान पर स्थानान्तरण

(1) पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ पल्वराइजर प्लांट जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एव दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय–IX.

नीति का स्पष्टीकरण (Clarification)

(1) इस नीति मे किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थापना सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आंख्या का प्रारूप
अनुसूची–1 (अध्याय–I, बिन्दु सं0–1)

1. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नामः–...।

2. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..।

3. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –..।

   (क) ग्राम...........................

   (ख) तहसील.....................

   (ग) जिला ....

   (घ) खसरा सं0 व क्षेत्रफल.......................

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..।

5. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक ....।

6. स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक......................।

7. **राजस्व विभाग की आख्याः–**

   (क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरणः–

क्र0 सं0	ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख) भूस्वामियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये किरायानामा/शपथ पत्र की मौके पर जांच/सत्यापन सम्बन्धी टिप्पणी:–...

(ग) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:–...।

(घ) प्रस्तावित सयंत्र से नीति मे निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:–

क्र0सं0	स्थान/जनपद	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1.	सरकारी वन			
2.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river) नाला, गदेरा के किनारे से			
3.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि			
5	आबादी से दूरी			

(ड) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(च) आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(छ) प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

8. वन विभाग की आख्या:–

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी :–

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:–

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:–

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(ङ) प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

9. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:–

(क).

क्र0सं0	स्थान/जनपद	नीति मे निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
1.	(क) नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ख) बर्षाती नदी (Non Perennial river) नाला, गदेरा के किनारे से			
2.	धार्मिक स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)			
3.	स्कूल शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि			
4.	आबादी से दूरी			

(ख). प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(ग) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली शर्तें/प्रतिबन्धः–

(घ) प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

10. भूवैज्ञानिक आख्या:–

(क). प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय संरचना का विवरण:–..।

(ख). प्रस्तावित स्थल के मध्य भाग के अंक्षाश व देशान्तर:–..।

(ग). प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

11–जिला खान अधिकारी की आख्या :–

1. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लांट की आवेदित क्षमता......................टन प्रतिघंटा।

2. (1) प्रस्तावित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुकूल है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी:–..

(2) यदि प्रस्तावित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल, नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुकूल नहीं है तो क्षेत्रफल के अनुसार प्लांट की क्षमता :–.........................टन प्रतिघंटा।

3. (क) प्रस्तावित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अनुबन्ध/विलेख सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं, का पूर्ण विवरण.......................................।

(ख) अनुबन्ध/विलेख में अंकित खनिज की वार्षिक मात्रा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के अनुरूप होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–..

4. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित खनन पट्टों की संख्या व वार्षिक खनिज निकासी मात्रा का विवरण:–..............

....।

5. प्रस्तावित क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की संख्या व वार्षिक क्षमता का विवरण:–............

....।

6. प्रस्तावित स्थल पर भण्डारण की क्षमता (एक समय पर)......................टन।

7. (क).आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(ख). आवेदक द्वारा प्राकशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था की कार्यालय मे आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुई तो उस पर जन सुनवाई की गयी या नहीं, यदि की गई तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी..।

8. प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण..।

9. (क). स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:–..............।

(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ....।

10. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–

(11). प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुतिः–

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सदस्य।	(जिला भूवैज्ञानिक) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई सदस्य	(उपजिलाधिकारी) राजस्व विभाग सदस्य
(जिला खान अधिकारी) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई सदस्य सचिव	(प्रभागीय वनाधिकारी) वन विभाग, सदस्य	(जिलाधिकारी) अध्यक्ष।

(गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे)।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुसूची–2 (अध्याय–I, बिन्दु सं0–2)

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद..............................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–..।

2– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..................................
पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जनपद.....................................
तहसील..............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0..........................धनराशि........................दिनांक.....................।

7–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

8–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

9– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

10–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...।

11–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

12–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

13– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति....................।

14–प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति..................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति......................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.......... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर...................................।.

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति....................।

23– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक...........................

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल (आर0बी0एम0) की आपूर्ति के स्रोत के सम्बन्ध में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक व पट्टाधारक के मध्य अनुबन्ध पत्र का विवरण :-

(अनुसूची-3, अध्याय-II, बिन्दु सं0-02 (15))

यह अनुबन्ध आज दिनांक .... को स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक एवं खनन पट्टाधारक के मध्य किया जा रहा है।

1. यदि खनन पट्टाधारक एक व्यक्ति विशेष हो :- व्यक्ति का नाम ....पता.. व्यवसाय..............................(जिसे आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

2. यदि खनन पट्टा एक से अधिक व्यक्ति के नाम हो :- व्यक्ति का नाम .... पता............................ .... व्यवसाय................ तथा.................. व्यक्ति का नाम............ व्यवसाय.................. (जिन्हें आगे ''पट्टाधारक' कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।

3.यदि पट्टाधारक निबद्ध फर्म हो :- (फर्म के भागीदार का नाम और पता).................... आत्मज.. निवासी.............................., आत्मज...................... निवासी......................आदि, जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म.........................(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय.............. जिला में............................ पंजीकृत है, (जिन्हें आगे ''लाइसेन्सधारी'' कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

4.यदि पट्टाधारक निबद्ध कम्पनी हो :- कम्पनी का नाम .... जो .... (एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय .... में पंजीकरण किया गया है, जिसको आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे।

5. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एक व्यक्ति विशेष हो :- व्यक्ति का नाम ....पता.................... व्यवसाय.. (जिसे आगे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उसके दायाक, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)।

6. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्वामित्व एक से अधिक का हो :- व्यक्ति का नाम .... पता.... .... व्यवसाय.. तथा................................ व्यक्ति का नाम.............................. व्यवसाय................ आदि (जिन्हें आगे ''स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उनके अपने-अपने दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

7. यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध या फर्म हो :- (भागीदार का नाम और पता) आत्मज.. निवासी......................आत्मज............................ निवासी.............................. जो सभी इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 (एक्ट संख्या 9, 1932) के अधीन निबन्धित फर्म.........................(फर्म का नाम) के नाम और रूप के अधीन भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं और जिसका निबद्ध कार्यालय...................... जिला में.................................. पंजीकृत है, (जिन्हे आगे ''लाइसेन्सधारी'' कहा गया है), (जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उक्त समस्त भागीदार, उसके अपने-अपने दायाद, निष्पादक तथा विधिक प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे)

8.यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट निबद्ध कम्पनी हो :– कम्पनी का नाम .... जो ....(एक्ट, जिसके अधीन निगमित है) के अधीन निबद्ध कम्पनी है और जिसका कार्यालय .... में पंजीकरण किया गया है, जिसको आगे पट्टाधारक कहा गया है, जिस पदावलि के अन्तर्गत, यदि संदर्भ से ऐसा ग्राहय हो, उत्तराधिकारी भी समझे जायेंगे।

खनन पट्टे क्षेत्र का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम व पता	खनन पट्टा क्षेत्र/ग्राम का नाम	तहसील	जिला	खसरा सं0 व क्षेत्रफल	स्वीकृत उपखनिज की वार्षिक मात्रा (टन मे)	ई0 क्रमांक (एम0ओ0 सं0)	विभागीय पोर्टल का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

खनन पट्टाधारक ....शपथपूर्वक बयान कराता है कि वह अपने खनन पट्टे से .... टन मात्रा स्टोन क्रेशर संचालन के प्रथम वर्ष से .... वर्ष तक देगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का विवरण

क्र0 सं0	ई0 रवन्ना आई0डी0 संख्या	आवेदक का नाम व पता	आवेदित क्षेत्र	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0मे)	क्षमता (प्रतिघण्टा)	भण्डारण की क्षमता	
								एक समय में क्षमता (टन)	रोलिग क्षमता (टन मे)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
दिनांक....................

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
दिनांक....................

प्रति हस्ताक्षर
जिलाधिकारी।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–4 (अध्याय–III, बिन्दु सं0–1)

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद.........................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–...।

2– स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.................................
....

पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जनपद..................................
तहसील..............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है ....।

5– प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.........................धनराशि.......................दिनांक.....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.......................................
धनराशि...................वर्ष..........................से ....तक।

8– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.........................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

11– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

12– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.........................।

16– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति....... ....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति . ...।

18– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

19– प्रचलित नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0–6 व अध्याय–III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो, तो संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

21– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति.....................।

22– पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–5, अध्याय–IV, बिन्दु सं0–02

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद.............................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट ,मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–...।

2– मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.........
....

पता–..
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जनपद.............................
तहसील...........................
ग्राम....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.......................धनराशि.......................दिनांक...................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.................................

धनराशि...................वर्ष........................से ....तक।

8– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

9–अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

10–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

11– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

12–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

13–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतिं या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

14–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति...................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.......... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .. ..।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो, तो संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर...................................।.

20– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध मे निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध/विलेख की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति.....................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–6, अध्याय–V, बिन्दु सं०–क

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी, आवेदन प्राप्ति का दिनांक..............................
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद.........................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर मे खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नाम:–..।

2– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.........................
....

पता–..
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जनपद...................................
तहसील.............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.........................धनराशि.........................दिनांक.....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण....................................
धनराशि....................वर्ष.........................से ....तक।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता...।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति....................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17–आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.......... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .. ..।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्वसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर....................................।.

22– प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–7 (अध्याय–VI, बिन्दु सं0–1)

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी, आवेदन प्राप्ति का दिनांक................................

भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,

जनपद............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट ,मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– पल्वराईजर प्लांट का नामः–..।

2– पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.................................. ......

....

पता–..

मोबाईल नं0–...

ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –

जनपद...................................

तहसील..............................

ग्राम.....................

खसरा संख्या ....

क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0..........................धनराशि........................दिनांक....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.................................

धनराशि....................वर्ष.........................से ....तक।

8– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

11– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...।

12– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति....................।

15– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ....।

16– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति....................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17– अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति........ ....।

20– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

21 – आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

22– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर....................................।

23– प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति......................।

24– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 औ0 वि0 / 287–2020–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग—1
संख्या: 1065/VII-A-1/2020/68-रिट /08टीसी
देहरादून, दिनांक: 11 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप / संशोधन

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय–I. के बिन्दु 3 "स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु दूरी के मानक" में अंकित तालिका को निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु दूरी के मानक

3. स्टोन क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु मैदानी क्षेत्रों में क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे:—

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	1.5 किलोमीटर	1.5 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :—

(1) पर्वतीय क्षेत्र के स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लाटों की नदी (Perennial river) से न्यूनतम दूरी 250 मीटर तथा Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) से न्यूनतम दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत होंगे।

(2) गठित समिति अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्लांट से दूरी हेतु निर्धारित मानकों के सापेक्ष मौके के अनुसार प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।

(3) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

आज्ञा से,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

श्री
08/09/2021

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी–I
देहरादून, दिनांकः 08 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु सं० 1 के उप बिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1 विद्यमान उपबंध	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध
(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।	(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी; **परन्तु वर्तमान में कोविड–19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की संभावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा० न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र**

के साथ नीति में निर्धारित मानकों/ प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से संबंधित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण/ जांच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव